राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/निरीक्षण) विभाग

क्रमांक: प.9(3)कार्मिक/क–3/निरी./98 जयपुर, दिनांक: 12 MAY 2008

प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासन सचिव,
संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर,
समस्त विभागाध्यक्ष

परिपत्र

विषय: विभागीय जांच प्रकरणों के निष्पादन के संबंध में।

अनुशासनिक जांच कार्यवाहियों के यथाशीघ्र निस्तारण हेतु इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.5.2002 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है। परिपत्र दिनांक 23.5.2002 के परिशिष्ठ "द" में चाही गई सूचनाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर उक्त परिशिष्ट में संशोधन किया गया है।

अतः परिपत्र दिनांक 23.5.2002 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की निरन्तरता में निर्देश दिये जाते है कि अनुशासनिक जांच प्रकरण का प्रस्ताव प्रेषित करते समय संशोधित संलग्न परिशिष्ट "द" अनुसार पूर्ण सूचनाऐं अंकित कर प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित किये जावें।

साथ ही, इस विभाग में विचाराधीन अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों की आपके विभाग से संबंधित मामलों की सूची संलग्न है। विभागों में समान नाम के अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों में जांच कार्यवाही की रिपोर्ट में भ्रमवँश होने वाली त्रुटि की संभावना को देखते हुए यह भी आवश्यक समझा गया है कि परिशिष्ट "द" में अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि खाता संख्या का उल्लेख किया जाए। अतः कृपया संलग्न सूची में अंकित अपचारी अधिकारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाता संख्या का उल्लेख करते हुए उक्त सूची इस विभाग को यथाशीघ्र वापिस लौटा देवें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

शासन सचिव